

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

क्रमांक: एफ.13()पुस्त./2008-14

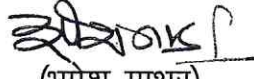
दिनांक-30/03/2022

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.13()पुस्त./747 दिनांक 25.02.2014 को संशोधित करते हुए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 (2013 का 14) के अध्याय-II की अनुपालना में महिला उत्पीडन से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्रम संख्या	अधिकारी/ कर्मचारी	विभागीय पदनाम	समिति का पदनाम	मोबाईल नम्बर
1.	सुश्री कुसुम मीना	सहायक निदेशक (कार्मिक-I)	अध्यक्ष	8890917498
2.	श्रीमती सरिता बत्रा	सहायक लेखाधिकारी-I	सदस्य	9460088651
3.	श्रीमती नीतू माथुर	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य	9928311117
4.	श्रीमती उषा शर्मा	वरिष्ठ सहायक	सदस्य	9636864153
5.	श्रीमती संतोष देवी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	सदस्य	8107008884

उक्त समिति के लिए सुश्री कुसुम मीना, सहायक निदेशक (कार्मिक-I) को नोडल अधिकारी मनोनित किया जाता है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ.13()पुस्त./2008-14

दिनांक:- 30/03/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. जिला कलक्टर, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ-1(2021-22)/ICC/443-645 दिनांक 01.02.2022 की अनुपालना में।
2. सहायक शासन सचिव, वित्त (समन्वय) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को उनके अरा. टीप क्रमांक प.11(1)वित्त/समन्वय/2022 दिनांक 21.03.2022 के क्रम में।
3. उपनिदेशक (आई.टी) को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करावे।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. सुश्री कुसुम मीना, सहायक निदेशक (कार्मिक-I) कार्यालय हाजा।
6. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
7. लेखा/ रोकड शाखा/ रक्षित पत्रावली।


30/3/22
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)